डाक -व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति - पत्र
क्र. रायपुर - सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59] रायपुर, शुक्रवार दिनांक 15 मार्च 2002, फाल्गुन 24, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-24/2002/वा.क./(आव.) पांच/(28)—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा धारा 62 के खण्ड (घ), (घ-1), (ङ), (च) और (छ) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त राजस्व जिलों में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की स्थापना के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**
   (एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यस्थापन नियम, 2002" है .
   (दो) यह नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे .

2. **परिभाषायें** : जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध न हो, इन नियमों में—
   (1) **'अधिनियम'** से अभिप्रेत है, समय-समय पर यथा-संशोधित छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) .
   (2) **'आबकारी वर्ष'** से अभिप्रेत है, एक अप्रैल से प्रारंभ होकर कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष .
   (3) **'प्रपत्र'** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्रपत्र .
   (4) **'अनुज्ञापन प्राधिकारी'** से अभिप्रेत है, जिले के कलेक्टर .
   (5) **'लाइसेंस फीस'** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ii) के खण्ड (ज) के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से देशी/विदेशी मदिरा के बिक्री के अनन्य विशेषाधिकार के लिये राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-

समय पर संपूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिये लाईसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियम राशि .

(6) **'न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा'** से अभिप्रेत है, आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के किसी मास में अपनी फुटकर दुकान/दुकानों के समूह के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत देशी/विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं माल्ट) की मात्रा, जो देशी/विदेशी मदिरा दुकान/दुकानों के समूह हेतु निर्धारित की जाएगी .

(7) **'प्रतिभूति धनराशि'** से अभिप्रेत है, वार्षिक मात्रा के 1/12 वें भाग पर देय ड्यूटी की धनराशि, जो देशी मदिरा के लिये 48/- रुपये प्रति प्रूफलिटर, विदेशी मदिरा स्पिरिट के लिये 84/- रुपये प्रति प्रूफलिटर एवं माल्ट के लिए 10/- रुपये प्रति बोतल की दर से गणना की जावेगी, शासकीय कोषालय में व्याज रहित प्रतिभूति के रूप में नगद जमा करना होगा तथा जो राज्य सरकार के समस्त दावों एवं देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है .

(8) **'वार्षिक मात्रा'** से अभिप्रेत है, किसी आबकारी वर्ष में मासवार प्रत्याभूत मात्रा का योग .

3. **फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंसों का व्यवस्थापन :**

(क) इन नियमों और लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अध्यधीन रहते हुए देशी/विदेशी मदिरा की बिक्री के लिये फुटकर दुकान/दुकानों के समूह की निर्दिष्ट फीस 12 मासिक किश्तों में देय प्रणाली द्वारा, जैसा कि लाइसेंस के निर्बन्ध तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट है व्यवस्थापन या पुनर्व्यस्थापन किया जायेगा .

(ख) अनुज्ञात परिसर में उपभोग किये जाने के लिये मुहरबंद बोतलों में देशी मदिरा लाइसेंस प्रपत्र सी.एस.-2 (घ) में तथा अनुज्ञप्त परिसर के बाहर उपभोग के लिए विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस प्रपत्र एफ. एल. 1-(घ) में मंजूर किया जायेगा. ये प्रपत्र संलग्न परिशिष्ट 1 एवं 2 पर हैं .

4. **मदिरा दुकानों के समूहों का गठन :**

(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा तीन मदिरा दुकानों के प्रत्येक समूह को उक्त नियमों के अधीन समूहवार लाइसेंस जारी किए जायेंगे .

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी अधिकृत होगा कि वह राजस्व को ध्यान में रखते हुये किसी एक समूह में किसी एक दुकान को कम या एक/दो दुकान जोड़ सकते हैं, पर वे दुकान उसी विक्रय क्षमता की नहीं होनी चाहिए .

(3) एक आवेदक/फर्म/कंपनी दो समूह से अधिक समूहों के लिए लाइसेंस अभिप्राप्त नहीं कर सकता .

5. **लाइसेंस की अवधि :**

लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके उस भाग, जिसके लिये लाइसेंस मंजूर किया गया है, के लिए होगी . लाइसेंस का नवीनीकरण ऐसे निबंधन और शर्तों पर किया जा सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये जाये .

6. **आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क :**

मदिरा दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क निम्नलिखित सारणी में दर्शाए अनुसार होगा :

सारणी

अनुक्रमांक	समूह का आरक्षित मूल्य	आवेदन शुल्क
(1)	5 लाख से एक करोड़ तक दुकानों के समूह के लिए	रुपये 1,000/-
(2)	1 करोड़ से 2 करोड़ तक दुकानों के समूह के लिए	रुपये 3,000/-
(3)	2 करोड़ से 8 करोड़ तक दुकानों के समूह के लिए	रुपये 5,000/-

आवेदन शुल्क की राशि न तो लाइसेंस फीस में समायोजन योग्य होगी और न ही यह राशि अनुज्ञप्ति स्वीकृत न होने की स्थिति में वापसी योग्य होगी .

7. **मदिरा दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करना :**

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मदिरा दुकानों की प्रतिभूति धनराशि तथा प्रथम माह की लाइसेंस फीस अग्रिम जमा करने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मदिरा दुकानों के लाइसेंस जारी किये जायेंगे .

8. **लाइसेंस मंजूर करने के लिये प्रक्रिया :**

(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस मंजूर करना प्रस्तावित हो, अनुज्ञापन प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार के पश्चात् इस निमित्त आवेदन आमंत्रित करेंगे .

(ख) देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/दुकानों के समूह की जिनके लाइसेंस की स्वीकृति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित है कि सूची, लायसेंस फीस न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा, प्रतिभूति धनराशि एवं वार्षिक मात्रा सहित कलेक्टर, तहसील, जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त तथा उपायुक्त आबकारी (उडनदस्ता) के कार्यालय में प्रदर्शित की जावेगी .

(ग) लाइसेंस स्वीकृति के लिये आवेदन, आवेदन शुल्क के साथ इन नियमों के संलग्न प्रारूप परिशिष्ट 4 में दिये जायेंगे .

(घ) आवेदन प्राप्ति के लिये नियत किया जाने वाला अंतिम दिनांक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होने के दिनांक से दस दिन से पूर्व न होगा .

9. **आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें:**

देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/दुकानों के समूह के लाइसेंस की पात्रता के लिये आवेदको को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी,

(क) भारत का नागरिक हो या भागीदारी फर्म के भागीदार जो भारत के नागरिक हो . दुकान/दुकानों के समूह के आवंटन के पश्चात् भागीदारी में कोई परिवर्तन आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना अनुज्ञात नहीं होगा .

(ख) 21 वर्ष की आयु से अधिक हो .

(ग) बकायेदार/कालीसूची में सम्मिलित या अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से वर्जित न किया गया हो .

(घ) निम्नलिखित के साक्ष्य में पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात् -

(1) यह कि उस स्थान पर नियमों के अनुसार दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है या किराये पर लेने की व्यवस्था कर सकता है.

(2) यह कि उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसको इस अधिनियम, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी अधिनियम, 1985 तथा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है .

(3) यह कि अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहां का वह निवासी है, के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा कि उसका चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है .

(4) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि उपरोक्त खण्ड तीन में उल्लेखित है या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो .

(5) यह कि उस पर कोई सरकारी देय नहीं है .

10. **लाइसेंस के लिये जिला स्तरी समिति** : देशी/विदेशी मदिरा की बिक्री के लाइसेंसधारियों के चयन हेतु जिला स्तरीय समिति होगी . समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् -

(एक)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	जिले का जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त	सदस्य सचिव

11. **अनुज्ञप्तिधारी का चयन :**

(क) समिति के सदस्य सचिव सभी आवेदकों की एक सूची, जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ तैयार करेगा .

(ख) उक्त समिति आवेदकों की सूची में से अनुज्ञप्तिधारियों का चयन करेगी, यदि किसी विशिष्ट दुकानों के समूह के लिये एक से अधिक आवेदक उपयुक्त पाये जाये तो समिति ऐसी दुकानों के समूह के लिये अनुज्ञप्तिधारी का चयन सार्वजनिक लाटरी से करेगी.

(ग) यदि चयनित आवेदक नियम 13 के अनुसार निर्धारित अवधि में अपेक्षित धनराशि जमा नहीं करता और विहित औपचारिकताएँ पूरी नहीं करता या दुकान/दुकानों के समूह हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और दुकानों के समूह के पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा .

(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकानों के समूह के लिये कोई आवेदन सपत्र प्राप्त नहीं होगा या दुकानों के समूह के लिये कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाए तो अनुज्ञापन प्राधिकारी नियम 8 में दी गई प्रक्रिया अनुसार दुकानों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तुरन्त कार्यवाही करेगा.

(ङ) अनुज्ञापन प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी दुकान/दुकानों के समूह हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों को बिना कारण बताए नामंजूर करे .

(च) वह व्यक्ति जिसके पक्ष में लाइसेंस मंजूर किया गया है वह नियम 3 (ख) के अधीन जारी लाइसेंस निबन्धन तथा शर्तों से बद्ध होगा .

12. **व्यवस्थापित की गयी दुकानों का विवरण :** जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, व्यवस्थापन के 15 दिनों के भीतर, व्यवस्थापित की गयी दुकानों के समूह का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारियों के नाम और पते, दुकानवार वार्षिक मात्रा, प्रतिभूति धनराशि और लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी राशि का विवरण होगा .

13. **लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान :** यदि किसी आवेदक का अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयन किया जाता है, तो वह अपने चयन की सूचना से तीन दिन के भीतर एक मास की लाइसेंस फीस की राशि तथा प्रतिभूति की राशि जमा करेगा . यदि वह विहित कालावधि में मासिक लायसेंस फीस एवं प्रतिभूति राशि जमा करने में असफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जाएगा और उक्त अनुज्ञप्तिधारी को राज्य में कहीं भी कोई आबकारी लाइसेंस धारण करने से भविष्य में वर्जित कर दिया जायेगा तथा उसका आवेदन शुल्क भी राजसात कर लिया जायेगा . इस नियम के अधीन ऐसे व्यतिक्रमी की समेकित सूची उनके पूरे पते सहित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को अग्रेषित की जायेगी, जो राज्य की समेकित सूची को राज्य के सभी अनुज्ञापन प्राधिकारियों को प्रसारित करेगा .

14. **मदिरा का उठान :**

(क) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी चुकाकर संबंधित मद्य भण्डागार से तथा विदेशी का प्रदाय मूल्य जमा करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड से अभिप्राप्त करेगा. अनुज्ञप्तिधारी मदिरा हेतु मांगपत्र पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत करेगा .

(ख) प्रदायकर्ता/छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसके पास मांगपत्र प्रस्तुत किया गया है, मांगपत्र प्राप्त करने की तारीख तथा समय अभिलिखित करेगा और मांगी गई मदिरा की मात्रा को यथासंभव शीघ्र प्रदाय को सुनिश्चित करेगा .

(ग) वर्ष 2002-2003 हेतु देशी मदिरा की ड्यूटी दर 48/- रुपये प्रति प्रुफलिटर तथा विदेशी मदिरा स्पिरिट एवं माल्ट हेतु ड्यूटी दर नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होगी :-

अ.क्र.	एक्स-फेक्ट्री दर (प्रति केस अर्थात् 12 बोतल)	ड्यूटी दरें प्रति प्रूफलिटर
01.	साधारण रेन्ज रु . 240 से 400 तक	रु . 60/-
02.	मध्यम रेन्ज रु . 401 से 900 तक	रु . 80/-
03.	उच्च रेन्ज रु . 901 से 3000 तक	रु . 110/-
04.	इंडियन स्कॉच	रु . 400/-
05.	आयातित मदिरा	रु . 500/-
06.	माल्ट	रु .10/- प्रति क्वार्ट बोतल

15. **मास के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान और असफलता के परिणाम :**

(क) अनुज्ञप्तिधारी मास के दौरान सम्पूर्ण न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा उठाने के लिए दायी है . अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा ड्यूटी/विदेशी मदिरा के मूल्य के साथ जिसमें सभी शुल्क, कर और उपकर सम्मिलित हैं, आगामी मास के लिये नियत संपूर्ण मात्रा के लिये मांगपत्र तैयार करेगा जिसे मास के 25वें दिन तक प्रदायकर्ता/छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रस्तुत करना होगा .

(ख) यदि फुटकर अनुज्ञप्तिधारी खण्ड (क) के अनुसार मांगपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त तत्काल अनुज्ञापन प्राधिकारी को मामले की सूचना देगा, जो नियत न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम उठाई गई देशी मदिरा की मात्रा पर रुपये 48/- प्रति प्रूफलिटर, विदेशी मदिरा पर रुपये 84/- प्रति प्रूफलिटर एवं माल्ट पर रुपये 10/- प्रति बोतल तक की शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई करेंगे . अधिरोपित शास्ति के तुल्य धनराशि को प्रतिभूति से समायोजित करते हुए अनज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति राशि में आई कमी को एक सप्ताह के अन्दर पूर्ति करने तथा कारण बताने का नोटिस जारी करेंगे कि लाइसेंस क्यों न निरस्त कर दिया जाए ? यदि अनुज्ञप्तिधारी बताई गई के भीतर प्रतिभूति राशि को पूर्ण करने में असफल रहता है तथा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्तीकरण के दायित्वाधीन होगा . इसके उपरान्त अनुज्ञापन प्राधिकारी दुकान/दुकानों के समूह के पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे .

16. **न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक देशी/विदेशी मदिरा का उठान :** अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक का उठान निर्धारित शुल्क की दर पर ही कर सकता है अर्थात् न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक उठान करने पर अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा .

17. **न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य :** शासन द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से देशी/विदेशी मदिरा की न्यूनतम फुटकर विक्रय दर नियत की जावेगी . देशी मदिरा बोतलों पर फुटकर बिक्री दर प्रदायकर्ता द्वारा मुद्रित कराई जायेगी . विदेशी मदिरा के विभिन्न ब्राण्डों की दरों की मूल्य सूची दुकानदार द्वारा दुकान के दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी . अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित किए गए न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा .

18. **देशी मदिरा की उपदुकान हेतु अनुज्ञप्ति :** देशी मदिरा की उपदुकान ऐसी लायसेंस फीस तथा शर्तों के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मंजूर की जा सकेगी जैसी कि शासन द्वारा अधिसूचित की जाये . यह अनुज्ञप्ति प्रपत्र सी.एस. 2-ङ में होगी जो उपाबंध 3 पर है

19. **विक्रय तथा दुकान बन्द करने के घण्टे :**अनुज्ञापन परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गाँधी निर्वाण दिवस), होली, मुहर्रम और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित तीन दिन के अतिरिक्त सभी दिवसों पर प्रात: 10 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक बिक्री के लिये खुला रहेगा . अनुज्ञापन प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सुसंगत विधि के प्रावधानों के अधीन सामान्य निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के कारण दुकान बन्द करने का आदेश दे सकता है. उपरोक्त आधार पर दुकान के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा .

20. **लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अतिशेष स्टॉक का व्ययन :**अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी मदिरा के अतिशेष स्टॉक का व्ययन सामान्य लाइसेंस शर्त क्रमांक-25 के अन्तर्गत तथा विदेशी मदिरा के अतिशेष का निस्तारण छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उपनियम (6) के अनुसार किया जायेगा .

21. **प्रतिभूति धनराशि का समायोजन/वापसी :** राज्य शासन को देय लायसेंस फीस/ड्यूटी/शास्ति की राशि या अन्य देयों के निस्तारण हेतु आवश्यकता होने पर प्रतिभूति धनराशि समायोजन योग्य होगी . राज्य शासन के समस्त दावों एवं देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात् प्रतिभूति धनराशि वापस किए जाने योग्य रहेगी .

22. **लायसेंस का अभ्यर्पण :** अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 33 के उपबन्धों के अधीन अपने लायसेंस का अभ्यर्पण अनुज्ञापन प्राधिकारी को कम से कम एक मास की लिखित नोटिस देकर कर सकता है . ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 33 के अनुसार कार्यवाही करेगा . अनुज्ञापन प्राधिकारी आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिए दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरंभ करेगा .

23. **लायसेंस का निलम्बन और निरस्तीकरण :**

(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी लायसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है -

(क) यदि अनुज्ञप्त परिसर में कोई ऐसी मदिरा बोतल पाई जाती है, जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में प्रतिभूति होलोग्राम नहीं लगाया गया है .

(ख) यदि अनुज्ञापन परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषधि (जिसके लिये लायसेंस मंजूर नहीं किया गया है) पाई जाती है .

(ग) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथपत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया कथन असत्य पाया जाता है.

(घ) यदि अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम या किसी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध से या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध से दोषसिद्ध पाया जाता है .

(ङ) यदि कोई मदिरा की बोतल नियम 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाती है .

(च) (एक) यदि अनुज्ञप्तिधारी आगामी मास हेतु नियत न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का माँगपत्र मास की 25 तारीख तक प्रस्तुत नहीं करता अथवा माँगपत्र अनुसार नियत न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा नहीं उठाता है तो ऐसी कम उठाई गई, देशी मदिरा की मात्रा पर रुपये 48/- प्रतिप्रूफलिटर , विदेशी मदिरा स्पिरिट की मात्रा पर रुपये 84/-प्रति प्रूफलिटर तथा

माल्ट की मात्रा पर रुपये 10/- प्रति बोतल की दर से शास्ति के लिये दायी होगा .

(दो) यदि अनुज्ञप्तिधारी अधिरोपित शास्ति के पश्चात् भी मासवार प्रत्याभूत मात्रा उठाने में असफल रहता है तथा विहित कालावधि के भीतर प्रतिभूति राशि में आयी कमी को पूरा करने में भी असफल रहता है .

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी ऊपर उल्लिखित आधार पर तत्काल अनुज्ञप्ति निलम्बित कर देगा और जमा प्रतिभूति राशि को राजसात कर लेगा . अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निरस्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा और अनुज्ञप्तिधारी अपना स्पष्टीकारण सूचना की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा . तत्पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का सम्यक् अवसर देने के पश्चात्, समुचित आदेश पारित करेगा .

(3) अनुज्ञप्तिधारी, इस नियम के अधीन लाइसेंस के निलम्बन या निरस्तीकारण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा .

(4) ऊपर लिखित आधार पर लाइसेंस निरस्त किए जाने के मामले में अनुज्ञप्तिधारी को कालीसूची में भी डाला जा सकता है तथा भविष्य में कोई भी आबकारी लाइसेंस धारण करने से वर्जित किया जा सकता है .

24. **निरसन** : इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम जो उनके प्रारंभ से तत्काल पूर्व प्रवृत्त हो, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में, एतद्द्वारा, निरस्त किये जाते हैं .

उपाबन्ध 1

सी. एस. 2-घ

[नियम 3(ख)]

मुहरबंद बोतलों में देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये परिसर में उपभोग हेतु लाइसेंस

लाइसेंस संख्या .... वर्ष .... मोहल्ला ....

जिला .... लाइसेंस फीस .... रुपया (अंकों में)...

....शब्दों में वार्षिक मात्रा (प्रुफ लिटर में)

....न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा .

अनुक्रमांक	मास	न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा
1.	अप्रैल	वार्षिक मात्रा का 8.5%
2.	मई	वार्षिक मात्रा का 8.5%
3.	जून	वार्षिक मात्रा का 8.5%
4.	जुलाई	वार्षिक मात्रा का 7.5%
5.	अगस्त	वार्षिक मात्रा का 7.5%
6.	सितम्बर	वार्षिक मात्रा का 7.5%
7.	अक्टूबर	वार्षिक मात्रा का 8.5%
8.	नवम्बर	वार्षिक मात्रा का 8.5%
9.	दिसम्बर	वार्षिक मात्रा का 9.0%
10.	जनवरी	वार्षिक मात्रा का 9.0%
11.	फरवरी	वार्षिक मात्रा का 8.5%
12.	मार्च	वार्षिक मात्रा का 8.5%

परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)

उत्तर ....

दक्षिण ....

पूरब ....

पश्चिम ....

नाम, पिता का नाम एवं लाइसेंसधारक का पता

1. .... पुत्र .... निवासी ....
2. .... पुत्र .... निवासी ....

नाम, पिता का नाम और विक्रेताओं के पते

1. .... पुत्र .... निवासी ....
2. .... पुत्र .... निवासी ....
3. .... पुत्र .... निवासी ....
4. .... पुत्र .... निवासी ....

25 यू. पी. की मसालेदार देशी मदिरा एवं यू. पी. की सादी देशी मदिरा की मानक बोतल (750 मि.ली.), अद्धा (375 मि.ली.) और पौवा (180 मि.ली.) के फुटकर बिक्री का लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारक/ धारकों को जिला .... के अन्तर्गत .... (स्थान) .... तहसील के लिये दिनांक .... से 31 मार्च, 20 .... हेतु जिसके लिये नियम -7 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है , लाइसेंस प्रदान किया जाता है .

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध होने पर अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा .

सामान्य और विशेष शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी महीने के दौरान नियत की गई सम्पूर्ण न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत मात्रा को उठाने के लिए दायी होगा . महीने के अंतिम कार्य दिवस को बिना उठाई गई मात्रा को समपहृत कर लिया जायेगा .

2. देशी मदिरा की नियत सम्पूर्ण मासवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के लिये मदिरा के प्रदाय मूल्य के पूर्ण भुगतान पर मांगपत्र मास की 25 तारीख तक प्रदायकर्ता को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा .

3. यदि फुटकर लाइसेंसधारक उपरोक्तानुसार माह के 25 तारीख तक मांगपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो जिला आबकारी अधिकारी/ सहायक आबकारी आयुक्त तुरन्त मामले की रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी को करेंगे जो नियत न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम उठाई गई प्रत्याभूत मात्रा पर रुपये 48/- प्रति प्रूफ लिटर तक की शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही करेंगें . अधिरोपित शास्ति के तुल्य धनराशि को प्रतिभूति से समायोजित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति राशि में आई कमी को एक सप्ताह के अन्दर पूर्ति करने तथा कारण बताने का नोटिस जारी करेंगें कि अनुज्ञप्ति क्यों न निरस्त कर दी जाये, यदि अनुज्ञप्तिधारी नियत अवधि के अंदर प्रतिभूति राशि को पूर्ति करने में असफल रहता है तथा उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है , तो उसकी लाइसेंस स्वत: निरस्त हो जायेगा, इसके उपरांत अनुज्ञापन प्राधिकारी दुकान / दुकानों के समूह के पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगें .

4. अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक का उठान उसी ड्यूटी दर पर ही कर सकता है अर्थात् न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक उठान करने पर अतिरिक्त ड्यूटी देय नहीं होगी .

5. अनुज्ञप्तिधारी मदिरा की कीमत का, जिसमें समय -समय पर उद्ग्रहणीय समस्त कर सम्मिलित हैं, पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् देशी मदिरा जिला प्रदायकर्ता से देशी मदिरा का प्रदाय अभिप्राप्त कर सकता है . अनुज्ञप्तिधारी जिसे वह देशी मदिरा प्रदाय करना चाहता है अग्रिम में माँगपत्र देगा . ऐसा प्रदायकर्ता जिसे माँगपत्र दिया गया हो यथासंभव शीघ्र देशी मदिरा का प्रदाय करने में असफल रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी सम्बद्ध जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त को सूचना देगा जो ऐसा माँग -पत्र प्राप्त होने पर यथासंभव शीघ्र मदिरा को प्रदाय के लिए व्यवस्था करार करेगा .

6. अनुज्ञप्तिधारी नियत न्यूनतम फुटकर मूल्य से कम नहीं लेगा .

7. परिसर पर उपभोग के लिये मुहरबंद बोतलों में देशी मदिरा की बिक्री की अनुमति उसी गद्दी से होगी . परिसर के एक भाग अलग रखा जाएगा . जहां केवल "परिसर में " उपभोग के लिये अनुमति होगी . परिसर में उपभोग के लिये भी खुली हुई मदिरा नहीं परोसी जायेगी .

8. विहित तीव्रता और मात्रा की देशी मदिरा की बिक्री मुहरबंद बोतलों, अद्धा, पौवों में की जायेगी जिन पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में लगे हुए होंगे .

9. अनुज्ञप्तिधारी विहित रजिस्टर में नियमित और सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांगा जाय, लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया जायेगा .

9. क. अनुज्ञप्तिधारी जिस दिन मद्य भाण्डागार में देशी मदिरा का प्रदाय अभिप्राप्त करने हेतु जाय उसके पूर्ववर्ती दिन को उसके पास स्टाक में की समस्त खाली बोतलें प्रदायकर्ता को वापस करेगा .

10. अनुज्ञप्तिधारी को देशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर, जिसके लिये कि लाइसेंस मंजूर किया गया है, परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी .

11. अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली, मुहर्रम, और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों 10.00 बजे सुबह से 10.30 बजे रात्रि तक खुला रहेगा, अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन संबंधी क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने के आदेश दे सकता है . उक्त तारीखों/ दिनों में दुकान की बंदी के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा .

12. अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस परिसर में ही करेगा .

13. अनुज्ञप्तिधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा, जिस पर अनुज्ञप्तिधारी का नाम, "देशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारक फुटकर विक्रेता" , दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि तथा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेगी .

14. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में बैठने की युक्तियुक्त व्यवस्था करेगा जैसे बेंचों की पर्याप्त संख्या, 'तख्तों', कुर्सियों तथा टेबिल आदि .

15. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो .

16. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित मात्रा से अधिक देशी मदिरा नहीं बेचेगा .

17. किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय नहीं की जावेगी जो 18 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो .

18. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या उनके लेबिलों, सुरक्षा होलोग्राम / चोरी रोधक ढक्कनों या मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है .

19. अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में कोई भी रंग, सुगंधि, होलोग्राम, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य हानिकर सामग्री नहीं रखेगा .

20. अनुज्ञप्तिधारी या उसके विक्रेता के लिये दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से 5 फीट के भीतर जहां विक्रय के लिये देशी मदिरा भंडारित की गयी है, पानी का रखना पूर्ण रूप से निषिद्ध है .

21. अनुज्ञप्तिधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिये, उसमें नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा .

22. परिसर के भीतर प्रयोग किए गए सभी कुल्हड़, पत्तलों आदि को कूड़े के लिये विशेषत: निर्मित खाली या इस प्रयोजनार्थ रखे गये ढक्कनदार, कूड़ेदानों में तत्काल डालकर हटा दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय हेतु विक्रय घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा .

23. अनुज्ञप्तिधारी/विक्रेता और उसके परिवार के द्वारा उस परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा .

24. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिये खरीददारों को प्रलोभन देना या फुसलाना पूर्ण रूप से निषिद्ध है . द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी पूर्ण रूप से निषिद्ध है .

25. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिशेष स्टाक के निपटारे के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जिसे सामान्य लायसेंस शर्त क्र. 25 के अनुसार निपटारा किया जायेगा .

26. अनुज्ञप्तिधारी, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाये गये नियम (सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 2क एवं 2ख को छोड़कर) और अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा सूचित किन्हीं विशेष शर्तों से आबद्ध कर होगा .

तारीख : ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

जिला : ....

उपाबन्ध 2

एफ. एल. 1-घ
(नियम 3-ख)

दुकान से मुहरबंद बोतलों में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस

लाइसेंस संख्या .... वर्ष .... मोहल्ला ....

जिला .... लाइसेंस फीस .... रुपया (अंकों में) ....

....(शब्दों में) वार्षिक मात्रा (बल्क लीटर में)

. ...न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा .

क्रम संख्या	मास	न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा
1.	अप्रैल	वार्षिक मात्रा का 8.5%
2.	मई	वार्षिक मात्रा का 8.5%
3.	जून	वार्षिक मात्रा का 8.5%
4.	जुलाई	वार्षिक मात्रा का 7.5%
5.	अगस्त	वार्षिक मात्रा का 7.5%
6.	सितम्बर	वार्षिक मात्रा का 7.5%
7.	अक्टूबर	वार्षिक मात्रा का 8.5%
8.	नवम्बर	वार्षिक मात्रा का 8.5%
9.	दिसम्बर	वार्षिक मात्रा का 9.0%
10.	जनवरी	वार्षिक मात्रा का 9.0%
11.	फरवरी	वार्षिक मात्रा का 8.5%
12.	मार्च	वार्षिक मात्रा का 8.5%

परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)

उत्तर ....

दक्षिण ....

पूरब ....

पश्चिम ....

नाम, पिता का नाम एवं अनुज्ञप्तिधारी का पता

1 .... पुत्र .... निवासी ....

2. .... पुत्र .... निवासी ....

नाम, पिता का नाम और विक्रेताओं के पते

1. .... पुत्र .... निवासी ....

2. .... पुत्र .... निवासी ....

3. .... पुत्र .... निवासी ....

4. .... पुत्र .... निवासी ....

परिसर के बाहर उपयोग के लिये मानक क्वार्ट बोतलों, अद्धा और पाव में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये लायसेंस, एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को जिला .... के अन्तर्गत ....(स्थान)...................................... तहसील के लिये दिनांक .... से 31 मार्च, 20 .... हेतु जिसके लिये नियम -7 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है .

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रदाय किया जाता है . इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध होने पर अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति धनराशि का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा .

सामान्य और विशेष शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड से समस्त करों, शुल्क, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा .

2. अनुज्ञप्तिधारी शासन द्वारा नियम, 17 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य नहीं लेगा .

3. अनुज्ञप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिये की जायेगी. कोई भी मदिरा परिसर पर उपभोग नहीं की जायेगी .

4. किसी भी व्यक्ति को 180 मि.ली. की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की बिक्री नहीं की जायेगी. 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई बिक्री नहीं की जायेगी.

5. विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा की मुहरबंद बोतलों अर्थात् क्वार्ट, पिंट और निप में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान प्रमाण के रूप में सुरक्षा होलोग्राम लगे हुए होंगे.

6. अनुज्ञप्तिधारी विहित रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा.

7. अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा के संपूर्ण स्टाक का भंडारण केवल अनुज्ञप्त परिसर में ही करेगा .

8. (क) अनुज्ञप्तिधारक को महीने के अंत तक लायसेंस प्राधिकारी द्वारा नियत की गई संपूर्ण न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत मात्रा को उठाना होगा. महीने के अंतिम कार्य दिवस को बिना उठाये गये मात्रा को समपहृत कर लिया जायेगा .

(ख) विदेशी मदिरा की निर्धारित संपूर्ण मासवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के लिये उद्ग्रहणीय सभी करों, शुल्कों , उपकरों को सम्मिलित करते हुए मदिरा के लागत मूल्य का भुगतान कर मांगपत्र मास की 25 तारीख तक छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा .

(ग) यदि फुटकर अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्तानुसार माह के 25 तारीख तक मांगपत्र प्रस्तुत करने में विफल होता है तो जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त तुरन्त मामले की रिपोर्ट लायसेंसिंग प्राधिकारी को करेगा. जो निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम उठाई गई स्प्रिट की प्रत्याभूत मात्रा रु. 84/- प्रति प्रूफ लिटर तथा माल्ट पर प्रति बोतल रुपये 10/- तक की शास्ति आधिरोपित करने की कार्यवाही करेंगे व अधिरोपित शास्ति के तुल्य धनराशि को प्रतिभूति धनराशि से समायोजित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति धनराशि में आई कमी को एक सप्ताह के अंदर पूर्ति करने तथा कारण बताने का नोटिस जारी करेगें कि लाइसेंस क्यों न निरस्त कर दी जाय. यदि अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित अवधि के अंदर प्रतिभूति राशि को पूर्ण करने में असफल होता है तथा उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसकी लाइसेंस स्वतः निरस्त हो जाएगा. इसके उपरांत लायसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे.

9. अनुज्ञप्तिधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर अनुज्ञप्तिधारी का नाम, विदेशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारी फुटकर विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लायसेंस की अवधि और लायसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनायें भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी .

10. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयुका हो या जो किसी संक्रामक रोग छुआछूत के रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो.

11. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित सीमा से अधिक विदेशी मदिरा नहीं बेचेगा.

12. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति उपनिरीक्षक से निम्न पद श्रेणी के पुलिस कर्मी या सैनिक या वर्दीधारी को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा.

13. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और उनके लेबलों, सुरक्षा होलोग्राम , चोरी रोधक ढक्कनों या मुहरों से बिगाड़ करना सर्वथा निषिद्ध है.

14. अनुज्ञप्तिधारी अपने लाइसेंस परिसर में कोई भी रंग सुगंधि, होलोग्राम, लेबल, कैपसूल, मुहर या कोई अन्य हानिकर सामग्री नहीं रखेगा.

15. अनुज्ञप्तिधारी/विक्रेता और उनके परिवार द्वारा परिसर जिसमें दुकान स्थित है का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा.

16. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिये खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है. द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है .

17. लाइसेंस परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली, मुहर्रम, और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बंदी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों 10.00 बजे सुबह से 10.30 बजे रात्रि तक खुला रहेगा, लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था का सामान्य निर्वाचन संबंधी क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बंदी के आदेश दे सकता है . उक्त तारीखों/ दिवसों में दुकान की बंदी के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा .

18. विदेशी मदिरा को छोड़कर जिसके लिये की लायसेंस दिया गया है अनुज्ञप्तिधारी को लाइसेंस परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी .

19. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञा की समाप्ति पर अतिशेष स्टाक के निस्तारण के लिये लायसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उपनियम (6) के अनुसार निस्तारित किया जाएगा .

20. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये एफ. एल. 2, एफ. एल. 3, एल.एल. 4., एफ.एल. 4क अथवा एफ. एल. 5 अनुज्ञप्तिधारी को भी विदेशी मदिरा विक्रय करेगा .

21. अनुज्ञप्तिधारी छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियम (सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 2क एवं 2ख को छोड़कर) और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष शर्तों से आबद्ध कर होगा.

तारीख : ....

अनुज्ञापन अधिकारी

जिला : ....

उपाबन्ध 3

प्ररूप सी. एस. 2-ङ

(नियम 18 देखिये)

उपदुकान पर उपभोग न की जाने वाली सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा के फुटकर विक्रय के लिये ऑफ लायसेन्स

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी /विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लाइसेंसों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 18 के अधीन तथा लाइसेंस फीस रुपये .... के प्रतिफल में जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, श्री .... को, जो कि पूर्व से ही सी.एस. 2घ के अनुज्ञप्तिधारी है, ... स्थित उपदुकान के लिए जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, ... से .... तक (देशी मदिरा के फुटकर) विक्रय हेतु निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन यह अनुज्ञप्ति एतद्द्वारा मंजूर की जाती है :-

शर्तें

1. इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाली फुटकर उपदुकान प्ररूप सी. एस. 2-घ में अनुज्ञप्त दुकान .... से अनुलग्न होगी, जिससे वह उपाप्त करने हेतु संलग्न रहेगी। वह किसी अन्य स्त्रोत से देशी मदिरा विक्रय हेतु प्राप्त नहीं करेगा .

2. अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा का परिवहन वृत्त के प्रभारी उपनिरीक्षक द्वारा प्ररूप सी.एस. 4 में जारी पास के बिना नहीं करेगा

3. यदि उपदुकान को परिवहित देशी मदिरा का दुरूपयोग होना पाया जाये तो अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी उपदुकान के लिए कोटा निर्धारित करने के लिए सक्षम होगा .

4. अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं से आबकारी विभाग के लिए विशेष रूप से तैयार की गई ऐसी खाली बोतलें जो अच्छी दशा में हों, ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियत की जाये, क्रय करेगा तथा उपरोक्त शर्त क्रमांक 1 और 2 में नामित बोतल का मूल्य सी.एस. 2-घ दुकान को वापस करेगा . वह उपभोक्ता से सरकार द्वारा नियत दर से अधिक बोतल का मूल्य तथा सीलिंग चार्ज प्रभारित नहीं करेगा . वह दुकान के सामने हिन्दी में लिखा हुआ साइन बोर्ड लगायेगा जिस पर दुकान का नाम, विक्रय दरें, काँच की बोतलों के लिए सीलिंग चार्ज तथा वह दर, जिस पर 750, 375, 180 मि.ली. की काँच की खाली बोतलें पुनः क्रय की जायेगी, अंकित करेगा .

5. अनुज्ञप्तिधारी जब कभी प्ररूप सी.एस. 2 में की शर्त क्रमांक 1 तथा 2 में उल्लिखित दुकान पर प्रदाय लेने जाये तब वह पूर्ववर्ती दिनांक तथा खाली बोतलों का स्टॉक अधिकृत अभिकर्ता को वापस करेगा तथा उसकी रसीद अभिप्राप्त करेगा और शर्त 7 के अधीन इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर के कॉलम क्रमांक 6 से सामने चिपकायेगा .

6. अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित प्रसारणी में खाली बोतलों के प्रतिदिन संव्यवहार का सही लेखा रजिस्टर में रखेगा:-

दिनांक	खाली बोतलों का प्रारंभिक अतिशेष (मि.ली.)	उपभोक्ता से प्राप्त खाली बोतलों की संख्या (मि.ली.)	खाली बोतलों का कुल योग 1+2 (मि.ली.)	मुख्य दुकान के अभिकर्ता को लौटाई गई खाली बोतलों की संख्या (मि.ली.)	खाली बोतलों का अंतिम अतिशेष कॉलम 3-4 (मि.ली.)	अभ्युक्तियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

7. अनुज्ञप्तिधारी बोतलों में लगी सील, लेबिल, कैप में न तो कोई परिवर्तन करेगा और न ही उसे बिगाड़ेगा .

8. अनुज्ञप्तिधारी केवल सीलबंद बोतलों ही (देशी मदिरा) का विक्रय करेगा .

9. अनुज्ञप्तिधारी किन्हीं भी परिस्थितियों में लाइसेंस परिसर में मदिरा के उपभोग की न तो अनुमति देगा और न ही उसके लिए कोई सुविधा प्रदान करेगा .

10. अनुज्ञप्तिधारी कोई भी देशी मदिरा बोतल में नहीं भरेगा .

11. अनुज्ञप्तिधारी उस फुटकर दुकान से जो प्ररूप सी.एस.2-घ में उल्लिखित है, जिससे यह लाइसेंस अनुलग्न के रूप में स्वीकृत की गई है, एक समय में 6 लीटर से कम मदिरा अभिप्राप्त नहीं करेगा . यदि उपरोक्त से अधिक मात्रा आवश्यक हो तो वह 6 लीटर के गुणक में ही अभिप्राप्त की जायेगी .

12. अनुज्ञप्तिधारी इस लाइसेंस से संलग्न अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट दिनों में दुकान बन्द रखेगा .

13. अनुज्ञप्तिधारी उपदुकान में पासबुक, निरीक्षक पुस्तिका , लेखा रजिस्टर, लाइसेंस आदि रखेगा और उन्हें निरीक्षणकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा .

14. यदि लाइसेंस, किसी कारण से, निलम्बित या रद्द किया जाता है, तो पूर्व में संदत्त अनुज्ञा शुल्क अंशतः या पूर्णतया वापस नहीं किया जायेगा .

15. यदि प्ररूप सी.एस. 2-घ में मुख्य दुकान को मंजूर किया गया लाइसेंस निलम्बित या रद्द किये जाने या उसे बन्द करने का आदेश किये जाने की दशा में इस लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली उपदुकान संबंधित समूह की किसी अन्य समीपस्थ दुकान से कलेक्टर के आदेश द्वारा संलग्न की जा सकेगी .

16. अनुज्ञप्तिधारी शर्त क्रमांक दो, दो -क, सत्ताईस, तीस को छोड़कर इस लाइसेंस की शर्तों, सामान्य लाइसेंस शर्तों और अन्य कोई विशेष शर्त/शर्तों, जो उसे लाइसेंस स्वीकृत करने से पूर्व और लाइसेंस के चालू रहने के दौरान संसूचित की जायेगी, से आबद्ध होगा .

17. इस लाइसेंस किन्हीं भी शर्तों या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी भी उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के भंग होने पर, यह लाइसेंस, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलम्बित या रद्द की जा सकेगी .

तारीख....................

अनुज्ञापन प्राधिकारी

जिला ....

आवेदन-पत्र

उपाबंध 4

देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री की दुकानों के समूह के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र

पंजीकरण संख्या .... आबकारी वर्ष ....

(कार्यालय द्वारा भरा जाय)

....

दुकान/दुकानों के समूह का विवरण

1. जिले का नाम ....

2. देशी / विदेशी मदिरा की दुकानों के समूह का नाम..

   तहसील ....

3. लाइसेंस शुल्क (रुपये) (अंकों में) ....

   (शब्दों में) ....

4. (अ) देशी मदिरा की वार्षिक मात्रा, प्रूफ लिटर...

   (ब) विदेशी मदिरा स्प्रिट की वार्षिक मात्रा, प्रूफ लिटर..

   (ग) विदेशी मदिरा माल्ट की वार्षिक मात्रा, प्रूफ लिटर..

5. आवेदन शुल्क (रुपये) (अंकों में)..

   (शब्दों में) ....

6. प्रतिभूति धनराशि (रुपये) (अंकों में) ....

   (शब्दों में) ....

आवेदक का विवरण

(सह-आवेदक की दशा में सह-आवेदक का भी फोटो सहित क्रं 1 से 5 के अनुसार विवरण दिया जाए)

आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो .

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. आयु .... लिंग : पुरुष/महिला ....
4. स्थाई पता ....
   मकान ....
   मोहल्ला/ग्राम ....
   थाना ....
   तहसील ....
   जिला राज्य ....
   राज्य ....
   दूरभाष ....
5. वर्तमान पता ....

मकान	मकान नम्बर ....
मोहल्ला/ग्राम	मोहल्ला/ग्राम ....
थाना	थाना ....
तहसील	तहसील ....
जिला/राज्य	जिला/राज्य ....
दूरभाष	दूरभाष ....

6. **जमा आवेदन शुल्क का विवरण**

(क) बैंक ड्राफ्ट/पे. आर्डर क्रमांक एवं दिनांक...

(ख) बैंक का नाम...

उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी में पूर्वत:/सही है . यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाय तो मेरा/हमारा प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य होगा . यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरांत असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा/हमारा लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जप्त करने योग्य होगी . मैं/हम इस तथ्य से भिज्ञ हूँ/ हैं कि असत्य या गलत विवरण देना दंडनीय अपराध है .

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

(सतिथि)

संलग्नक :

1. आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट/पे. आर्डर
2. आवेदन का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र

(आवेदन - पत्र प्राप्ति रसीद)

श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी .... का देशी/विदेशी मदिरा के समूह हेतु प्रार्थना-पत्र आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट व शपथ-पत्र के साथ प्राप्त किया जिसे रजिस्टर के क्रमांक.. पर दर्ज किया गया .

दिनांक .... कार्यालय.................................... जिला आबकारी अधिकारी

समय...................................... सील.. सहायक आबकारी आयुक्त

द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

Raipur, the 15th March, 2002

NOTIFICATION

No. F-10-24/2002/CT(EX)/V/(28)—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of section 62 read with clause (d), (d-1), (e), (f) and (g) ; and clause (b) of sub-section (I) of Section 18 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the State Government hereby, makes the following rules for the establishment of country/ foreign liquor shops in all revenue districts of the Chhattisgarh State.

1. **Short title and commencement -**
   (i) These rules may be called the "Chhattisgarh Excise Settlement of Licences for retail sale of country/ foreign liquor Rules 2002".
   (ii) These rules shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

2. **Definitions** - In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context -
   (1) "Act" means the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), as amended from time to time.
   (2) "Excise year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the calender year.
   (3) "Form" means the form appended to these rules.
   (4) "Licensing Authority" means the Collector of the district.
   (5) "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of country/ foreign liquor in a retail shop under sub clause (h) of clause (ii) of sub-section 2 of section 62 of the Act as fixed by the Excise commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole excise year or part thereof.
   (6) "Minimum month wise guaranteed quantity", means the quantity of country/foreign liquor (spirit and malt) as fixed by the licensing authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail sale shop/group of shops in a month of an excise year for the purpose of retail sale which shall be fixed for any country/ foreign liquor shops/group of shops.
   (7) "Security amount" means a sum equal to duty amount of 1/12 part of annual quantity calculated at the rate of Rs.48/- per proof litre of country liquor, Rs. 84/- per proof litre of spirit and Rs. 10/- per bottle of malt to be deposited in cash / bank draft in Government Treasury as interest free security, refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government.
   (8) "Annual quantity" means the sum total of the month wise guaranteed quantity of an excise year;

3. **Settlement of Licences for retail sale -**
   (a) Subject to the provision of these rules and subject to the payment of licence fee and security amount the retail shop/group of shops for sale of country/foreign liquor shall be settled or resettled by fixed fee payable in 12 monthly instalment system as specified in the terms & conditions of licence.
   (b) The licence shall be granted in the form CS2D for retail sale in sealed bottles of country liquor to be consumed in the licensed premises and in form FL 1D for retail sale of the foreign liquor in sealed bottle to be consumed outside the licensed premises. These forms appended hereinafter are annexures 1 and 2.

4. **Formation of groups of liquor shops -**
   (i) Groups of each of three liquor shops, geographically neighbouring shall be formed by the licensing authority. Groupwise licences shall be issued under the rules.
   (ii) Licensing authority shall be authorised to reduce any one shop or to add one/two shops in the group, with a view to augement of the revenue, but the shops shall not be of the same selling capacity.
   (iii) An applicant/firm/company cannot obtain licences for more than two groups of shops.

5. Period of Licence -

The period of licence shall be for an excise year or part thereof for which the licence has been granted. The licence may be renewed on such terms and conditions as may be decided by the State Government.

6. Application fee with application :

The application fee with the application for licence of groups of liquor shops shall be as shown in the table below :-

S.No.	Reserve price of the group	Prescribed application Fee
1.	For, group of shops of Rs. 5 Lakh to 1 Crore	Rs. 1,000/-
2.	For, group of shops of Rs. 1 Crore to 2 Crore	Rs. 3,000/-
3.	For, group of shops of Rs. 2 Crore to 8 Crore	Rs. 5,000/-

The amount of application fee will neither be adjustable in licence fee nor the amount will be refundable in case of not granting the licence.

7. Issue of licence for liquor shops -

The licences for liquor shops shall be issued by the licensing authority on deposition of the security amount and licence fee for the month is advance by the licensee.

8. Procedure for grant of licence -

(a) Whenever a new licence is proposed to be granted in an area or locality, the licensing authority shall invite the applications for this purpose after giving wide publicity through daily newspapers having circulation in that area.

(b) A list of shops of country/foreign liquor for which the licensing authority proposes to grant licence shall be exhibited along with shopwise licence fee minimum monthwise guranteed quantity, security amount, and annual quantity in office of Collector, Tehsil, District Excise Officer/ Asstt. Commissioner excise and Deputy Commissioner Excise (Flying squad).

(c) Application for grant of licence with application fee shall be submitted in the prescribed form as appended to these rules as annexure 4.

(d) The last date to be fixed for the receipt of application shall not be earlier than ten days with effect from the date of publication of the advertisement in the newspaper.

9. Eligilbility Conditions for applicant - The applicant has to fulfil the following conditions for obtaining the licence for shop/Group of shops of Country/foreign liquor.

(a) Should be a citizen of India or a partnership firm whose partners are citizen of India. No change in partnership shall be allowed after settlement of shopa (s)/group of shops except with the permission of the Excise Commissioner.

(b) Should be above 21 years of age.

(c) Should not be a defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise licence under the provisions of any rules made under the Act.

(d) Has to submit an affidavit duly verified by public notary as proof of the following, namely-

(1) That he possesses or has an arrangement for taking on rent suitable premises in that locality for opening the shops in accordance with the rules.

(2) That he possesses good moral character and have no criminal backgrourd and have not been convicted of any offence punishable under the Act or Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 or any other law for the time being in force or any other cognizable and non-bailable offence.

(3) That in case he is selected as licensee he will furnish a certificate, issued by Superintendent of

Police of the district of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record, within thirty days of grant of licence.

(4) That he shall not employ any salesmbCn or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or who suffer from any infectious or contagious disease or is below 21 years of age or a woman.

(5) That no government dues are outstanding against him.

10. **District level committee for licensing** - There shall be a district level committee for selection of licensees for sale of country/foreign liquor. The committee shall consists of the -

(i)	The Collector of the District	Chairman
(ii)	The District Excise Officer/ Asstt. Commissioner of the District	Member Secretary

11. **Selection of Licensee-**

(a) The member secretary of the committee shall prepare a list of all applicants with summary report to be put up before the district level committee.

(b) The said committee shall select licensees from the list of applicants. In case more than one applicants are found suitable for any particular group of shops the committee shall select the licensee for such group of shops by lottery (c). In case the selected applicant does not deposit the required amount according to rule 13 and does not fulfil the prescribed formalities or is unable to arrange suitable premises for the shops within stipulated period, the licensing authority shall cancel the allotment and take steps for resettlement of the shops/group of shops.

(c) In case there is no application for a particular group of shops or no applicant is found suitable for a group of shops, the licensing authority shall take immediate steps for resettlement as per procedure laid down in rule 8.

(d) Licensing authority shall have the right to reject application received for a group of shops without assigning any reason.

(e) The person in whose favour licence is granted shall be bound by the terms and conditions of licence issued under rule 3(b).

12. **Statement of Settled shops** - A statement of the settled shops alongwith names and adresses of the licensees, shop wise annual quantity, details of security amount and licence fee deposited shall be sent by the District Excise Officer/Asstt. Commissioner Excise to the Excise Commissioner within 15 days of the settlement.

13. **Payment of Licence-fee and security amount** - In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit one month's amount of license fee and the security amount within three days of being imformed of his selection. If he fails to deposit the amount of one month licence fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled and the said licensee shall be debarred from holding any excise licence in future, anywhere in the State and his applications fee shall also stand forfeited. A consolidated list of such defaulters under this rule, along with their complete addresses shall be forwarded by the District Exicse officer/ Asstt. Commissioner to the Excise Commissioner, who will circulate the consolidated list of the State to all the licensing authorities of the State.

14. **Lifting of liquor** -

(a) The licensee, under these rules shall obtain supplies of country liquor/foreign liquor from warehouse/ Chhattisgarh State Beverages Corporation Ltd. after making payment of duty of country liquor/issue price of foreign liquor. The licensee shall place indent well in advance to the warehouse officer/ Chhattisgarh State Beverages Corporation Ltd. from whom he intends to procure the supply of liquor.

(b) The supplier/Chhattisgarh State Beverages Corporation Ltd. with whom the indent has been placed shall record the date and time of receipt of indent and shall ensure supply of the desired quantity of liquor as soon as possible.

(c) The duty rates for country liquor shall be rupees 48/- per proof litre and for foreign liquor and malt the duty rates shall be as shown in table below :

S.No.	Ex. Factory Price (per case 12 Bottles)	Duty Rates per Proof litre
1.	Cheap Range Rs.240 to Rs. 400	Rs. 60/-
2.	Rs. 401 to 900 - Medium Range	Rs. 80/-
3.	Rs. 901 to 3000 - High Range	Rs. 110/-
4.	Indian Scotch	Rs. 400/-
5.	Imported liquor	Rs. 500/-
6.	Malt	Rs. 10/- per quarts bottle

15. Lifting of minimum Guaranteed Quantity fixed for the month and consequences of failure

(a) The licensee is liable to lift the entire minimum monthwise guaranteed quantity during a month. The licensee shall make indent, for the entire minimum monthwise guaranteed quantity fixed for next month along with duty of country liquor/foreign liquor which must be submitted to the supplier/Chhattisgarh State Beverages Corporation Ltd. by 25th day of the month.

(b) In case the retail licensee fails to submit the indent as per clause (a), the District Excise Officer/Asstt. Commissioner Excise shall immediately report the matter to the licensing authority, who shall take action to impose penalty on the amount of guaranteed quantity less lifted than the fixed guaranteed quantity at the rate of rupees 48/- per proof litre for country liquor, Rs. 84 per proof litre for foreign liquor and rupees 10/- per bottle for malt and shall adjust the amount equal to the imposed penalty from the security amount and issue a notice to the licensee to replenish the shortfall in security amount within a week and also show cause as to why the licence should not be cancelled. If the licensee fails to deposit the amount of deficit in security amount and does not furnish suitable explaination with in the stipulated period his licence shall be liable to be cancelled. Thereafter the licensing authority shall take immediate steps to resettle the shop/group of shops.

16. Lifting of country/foreign liquor in excess of minimum monthwise guaranteed quantity-

The licensee may lift more than the minimum monthwise guaranteed quantity at the same rate of duty i.e. no additional duty shall be leviable for lifting more than the minimum monthwise guaranteed quantity.

17. Minimum retail selling price - Minimum retail selling price of country/foreign liquor shall be fixed by the Government for convinience of consumer. Retail selling rates of country liquor on the bottles shall be printed by the supplier. A list of retail selling rates of various brands of foreign liquor shall be displayed by licensee at the visible spot of the shop. The licensee shall not charge less than the fixed minimum retail price from the consumer.

18. Licence for sub shop of Country liquor - Licence for sub shop of country liquor may be granted by the licensing authority for such licence fee and conditions as may be notified by the Government. This licence shall be in form C.S. 2E appended as annexure 3.

19. Hours of sale and closure of shops - The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 a.m. to 10.30 p.m. except on 15th August (Independance day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), 30th January (Mahatma Gandhi Nirwan Diwas), Holi and Mohharum and upto 3 more days as notified for closure by the licensing authority. Licensing authority may also order for closure of shops on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

20. **Disposal of balance stock left at the expiry of the licence -** On the expiry of the licence the stock balance of country liquor shall be disposed off as per general licence condition No. 25. and for foreign liquor as per sub rule (6) of rule (18) of Chhattisgarh foreign liquor rules 1996.

21. **Adjustment/refund of security Amount -** The security amount shall be liable to adjustment against the settlement of dues and claims to the government of licence fee/duty/penalty or any other dues. Security amount shall be refundable after the final settlement of all the claims and dues to the state government.

22. **Surrender of licence -**

A licensee may surrender his licence after giving atleast one month's notice in writing to the licensing authority under provisions of section 33 of the Act. On receipt of such application the licensing authrity will take steps according to section 33 of the Act. The licensing authority shall also proceed for resettlement of the shop without delay for the remaining period of the excise year.

23. **Suspension and concellation of the licence-**

(1) Licensing authority may suspend or cancel the licence -

(a) If any bottle of liquor is found in the licensed premises on which duty has not been paid and which does not carry security hologram duly approved by the Excise Commissioner as a proof of payment of duty.

(b) If any other kind of liquor or intoxicating drug (for which licence is not granted) is found in the licensed premises.

(c) If the affidavit s ubmitted by the licensee at the time of application is found incorrect and assertions made therein are found to be false.

(d) If the licensee is convicted of any offence punishable under the Act or any cognizable and non bailable offence or any offence punishable under section 482 to 489 of the Indian Penal Code.

(e) If any bottle is sold below the minimum rate as fixed by the state government under rule 17.

(f) (i) If the licensee does not make indent for entire minimum guaranteed quanity fixed for next month by 25th day of the month or does not lift the minimum guaranted quantity, he shall be liable for penalty at the rate of Rs. 48/- per proof litre of country liquor, Rs. 84/- per proof litre of spirit and Rs. 10/- per bottle of malt, on the quantity so less lifted.

(ii) If the licensee fails to lift the minimum monthwise guaranteed quantity and also fails to replenish the short fall in security amount within the period prescribed, consequent to the imposition of penalty.

(2) The licensing authority shall immediately suspend the licence and forfeit the security amount on above mentioned grounds. The licensing authority will also serve a show cause notice for cancellation of licence and the licensee shall submit his explaination within 7 days of the receipt of the notice. Thereafter the licensing authority will pass suitable orders after giving due opportunity of hearing to the licensee.

(3) The licensee shall not be entitled to claim any compensation or refund for suspension or cancellation of licence under the rules.

(4) In case the licence is cancelled on the above mentioned grounds the licensee may also be blacklisted and debarred from holding any excise licence in future.

24. **Repeal-** All rules corresponding to these rules inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed irrespective of matters covered by these rules.

छ त्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप -सचिव.

Annexure -1

C S.-2D

[Rule 3(b)]

Licence for the retail sale of country liquor in sealed bottles for consumption on the premises

Licence No. .... Year..

Locality .... District ....

Licence fee Rs. .... (in figures) .... (in words)

Annual Quantity (in proof liter)

Minimum monthwise guaranteed quantity

S. No.	Month	Minimum Monthwise Guaranteed Quantity
1.	April	8.5% of annual quantity
2.	May	8.5% --,,--
3.	June	8.5% --,,--
4.	July	7.5% --,,--
5.	August	7.5% --,,--
6.	September	7.5% --,,--
7.	October	8.5% --,,--
8.	November	8.5% --,,--
9.	December	9.0% --,,--
10.	January	9.0% --,,--
11.	February	8.5% --,,--
12.	March	8.5% --,,--

Description of premises (with boundries)

North ....

South ....

East...

West ....

Name, Father's Name and Address of Licensee (s)

1. .... s/o .... r/o ....

2. .... s/o .... r/o ....

Name, Father's name and Address of Salesmen

1. .... s/o .... r/o ....

2. .... s/o .... r/o ....

3. .... s/o .... r/o ....

4. .... s/o .... r/o ....

Licence for retail sale of spiced country liquor at a strength of 25 U.P. and plain country liquor at a strength of 50 U.P. in standard quart (750 ml), pint (375 ml) and nip (180 ml) bottles capacity, is hereby granted to above licence holder(s), at...........................(place) in..

Tahsil ....in the District of ....w.e.f. ....to March 31, 20....... .for which licence fee and security deposit has been paid in accordance with rule 7.

The licence is subject to the following special and general conditions the infraction of any of which or a conviction for any offence under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 or Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for cancellation of the licence and forfeiture of security deposit in addition to any penalty imposed under the relevant laws.

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

1. The licensee is liable to lift the entire minimum Monthwise Guaranteed Quantity of country liquor during the month only. The quantity left unlifted on the last working day of the month shall be forfeited.

2. The indent for the entire Minimum Guaranteed Quantity fixed for the month along with issue price of country liquor must be submitted to the supplier by 25th day of the month.

3. In case the retail licensee fails to submit the indent by 25th day of the month as above, the District Excise Officer/Asstt. Excise Commissioner shall immediately report the matter to the licensing authority, who shall take action to impose penalty on the amount of guaranteed quantity less lifted than the fixed monthly guaranteed quantity at the rate of rupees 48/- per proof litre and shall adjust the amount equal to the imposed penalty from the security amount and issue a notice to the licensee to replenish the shortfall in security amount within a week and also show cause as to why the licence should not be cancelled. If the licensee fails to deposit the amount of deficit in security amount and does not furnish suitable explanation within the stipulated period, the licence shall stand cancelled and the licensing authority shall take immediate steps to resettle the shop.

4. The licensee may lift more than the Minimum Monthwise Guarnteed Quantity at the same rate of duty i.e. no additional duty shall be levied for lifting more than the minimum monthwise guarnteed quantity.

5. The licensee can obtain supply of the country liquor from the country liquor supplier of the district after making full payment of issue price of liquor including sealing charges, all taxes, duties etc. leviable from time to time. The licensee shall place indent well in advance to the supplier in the district from whom he wants to procure the supply of country liquor. In case the supplier with whom the indent has been placed fails to supply country liquor as soon as possible, the licensee must approach to the District Excise Officer/Asstt. Excise Commissioner concerned who will make arrangements for supply of country liquor as soon as possible of receipt of such indent.

6. The retail licensee shall not charge less than the fixed minimum retail price.

7. The sale of country liquor in sealed bottles for consumption shall be allowed from the same Gaddi. A portion of the premises shall be set apart where only "on" consumption shall be permitted. Even for "On" consumption the liquor shall not be served loose.

8. The sales shall be made in sealed bottles of quarts, pints, nips of country liquor of prescribed strength and quantity carrying security Hologram approved by Excise Commissioner, as proof of payment of duty.

9. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the prescribed register. The account register shall be produced for inspection whenever asked by the compentent inspecting authority.

9.(A) The licensee shall return all the empty bottels in stock with him on the preceeding day to the supply contractor on the date he goes to the warehouse for obtaining supply of country liquor.

10. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of country liquor for which licence is granted.

11. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 a.m. to 10.30 p.m. except on 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), 30th January (Mahatma Gandhi Nerwan Diwas), Holi and Moharrum and upto 3 more days as notified for closure by the licensing authority. Licensing authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/days.

12. The licensee shall store entire stock of country liquor in the licensed premises only.

13. The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance to the shop on which the name of the licensee, designation "Licenced Retail Vendor of Country Liquor", location of the shop, period of licence and such other information as prescribed by licensing authority in bold letters shall be painted.

14. The licensee shall provide within the licensed premises a reasonable seating accommodation i.e. sufficient number of benches, "takehats", chairs and tables etc.

15. The licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and/or contageious disease, or has criminal background or a woman.

16. The licensee shall not sell to any person more than the prescribed quantity of country liquor.

17. The sales should not be made to a person below the age of 18 years or any official unif£rm.

18. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tempering with bottles or with their lables, security Hologram, pilfer proof caps or seals.

19. The licensee shall not keep in his licensed premises any colour, essence, hologram, lables, capsules, seals and any other noxious material.

20. The licensee or his salesmen are strictly prohibited from keeping water on the Gaddi of the shop or within 5 feet of the place where the country liquor is stored or kept for sale.

21. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and cleanliness including its drain etc. which shall be kept disinfected.

22. All Kujjar, pattals etc. used in the premises shall be removed immediately to specially erected empty receptacles or bin with a cover kept for this purpose, which shall be cleanedatleast twice during the sale hours.

23. The premises in which the shop is situated shall not be used as a place of residence by the licensee/salesman and his family.

24. The licensee is strictly prohibited from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programme are strictly prohibited.

25. The licensee shall on expiry of the licence, report to the licensing authority for disposal of balance stock which will be disposed off in accordance with condition No. 25th of general licence condition.

26. The Licensee shall be bound by the provisions of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 and the rules made there under (except General License condition No. 2 A and 2 B) and also with the special instruction by the competent authority.

Date :.......................

Licensing Authority

District : ....

F.L. 1-D **Annexure -2**

[Rule 3(b)]

Licence for the retail sale of foreign liquor in sealed bottles for

Licence No. .... District ....

Locality ....

Licence fee Rs. .... (in figures) .... (in words)

Annual Quantity (in proof litre)

Minimum monthwise guaranteed quantity

S. No.	Month	Minimum Monthwise Guaranteed Quantity
1.	April	8.5% of annual quantity
2.	May	8.5% --,,--
3.	June	8.5% --,,--
4.	July	7.5% --,,--
5.	August	7.5% --,,--
6.	September	7.5% --,,--
7.	October	8.5% --,,--
8.	November	8.5% --,,--
9.	December	9.0% --,,--
10.	January	9.0% --,,--
11.	February	8.5% --,,--
12.	March	8.5% --,,--

Description of premises (with boundries)

North ....

South ....

East...

West...

Name, Father's Name and Address of Licensee(s)

1. .... s/o .... r/o ....
2. .... s/o .... r/o ....

Name, Father's name and Address of Salesmen

1. .... s/o .... r/o ....
2. .... s/o .... r/o ....
3. .... s/o .... r/o ....
4. .... s/o .... r/o ....

Licence for the retail sale of foreign liquor in standard quart, pint and nip bottles is hereby granted to above licence holder(s), at.....................................(place) in P.S...
Tahsil...........................in the District of .... w.e.f. ....to March 31, 20............
for which licence fee and security amount has been paid in accordance with rule 7.

The licence is subject to the following special and general conditions the infraction of any of which or a conviction for any offence under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 or Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for cancellation of the licence and forfeiture of security amount in addition to any penalty imposed under the relevant laws.

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor from the Chhattisgarh State Beverages Corporation Ltd. after making full payment of price of liquor including all taxes, duties etc. leviable from time to time.

2. The licensee shall not charge less than the minimum retail price as fixed under rule 17.

3. Sales at the licensed premises shall be made only for consumption "Off" the premises. No liquor shall be consumed/drunk "On" the premises.

4. No quantity less than one standard Nip bottle of 180 ml shall be sold to any person. No sale shall be made to a person below the age of 18 years.

5. The sales shall be made in sealed bottles i.e. quarts, pints and nips of foreign liquor of prescribed strenght and quantity and which carry security Hologram approved by Excise Commissioner as proof of payment of duty.

6. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the prescribed register and the account register shall be produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales and facilitate and provide the material and documents required by the competent inspecting authority.

7. The licensee shall store entire stock of foreign liquor in the licensed premises only.

8. (a) The licensee is liable to lift the entire minimum monthwise guaranteed quantity during that month only. The quantity left unlifted on the last working day of the month shall be forfeited.

   (b). The indent for the entire minimum guaranteed Quantity of foreign liquor fixed for the month along with cost of liquor including all duties, taxes and cess must be submitted to the Chhattisgarh State Beverages Corporation Ltd. by 25th day of the month.

   (c) In case the retail licensee fails to submit the indent by 25th day of the month as above, the District Excise Officer/Asstt. Commissioner Excise shall immediately report the matter to the licensing authority, who shall take action to impose penalty on the amount of guaranteed quantity less lifted than the fixed monthly guaranteed quantity of spirit at the rate of rupees 84/- per proof litre and rupees 10/-per bottle of malt and shall adjust the amount equal to the imposed penalty from the security amount and issue a notice to the licensee to replenish the shortfall in security amount within a week and also show cause as to why the licence should not cancelled. If the licensee fails to deposit the amount of deficit in security amount and does not furnish suitable explanation within the stipulated period, the licence shall stand cancelled and the licensing authority shall take immediate steps to resettle the shop.

9. The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance to the shop on which the name of the licensee, designation "Licenced Retail Vendor of foreign Liquor", lacation of the shop, period of licence and such other information as prescribed by licensing authority in bold letters shall be painted.

10. The licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and/or contageous disease, or has criminal back ground.

11. The licensee shall not sell to any person more than prescribed limit of foreign liquor.

12. The sale should not be made to a person below the age of 18 years, police personnel below the rank of sub-inspector or to a soldier or official in uniform.

13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles, pints and nips, their lables, security Hologram Pilfer proof seals.

14. The licensee shall not keep in his licensed premises any spirit, colour, essence, hologram lables, capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated shall not be used as a place of residence by the licensee/salesman and his family.

16. The licensee is strictly prohibited from having recourse to any form of blandishment or in document to the customer with a view to increase his sales.Gambling and dance programme are strictly prohibited.

17. The licensed premises shall remain open for sales on all days from 10.00 a.m. to 10.30 p.m. except on 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), 30th January (Mahatma Gandhi Nerwan Diwas), Holi Moharrum and upto 3 more days as notified for closure by the licensing authority. Licensing authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election, related activity etc. under the provision of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/days.

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of foreign liquor for which licence is granted.

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the licensing authority for disposal of balance stock which will be disposed off in accordance with sub rule (6) of rule 18 of Chhattisgarh foreign liquor Rules, 1996.

20. The licensee shall sale foreign liquor to F.L. 2, F.L. 3, F.L. 4, F.L. 4A or F.L. 5 licensees as specified by the Collector.

21. The licensee shall be bound by Chhattisgarh Excise Act, 1915 and the rules made there under (except General Licence condition No.2A and 2 B) also with the special instruction by the competent authority.

Date : ....

District : .... Licensing Authority

Annexure-3

FORM C. S. 2-E

(See Rule 18)

Off Licence for the retail sale of Country Liquor in sealed bottles not to be consumed on the premises, at a sub-shop

Under rule 18 of the Chhattisgarh Excise Settlement of licence for retail sale of country/foreign liquor rules 2002 and in consideration of a licence fee of Rs............ that has been paid in advance, a licence is hereby granted to.................... who already hold a licence in Form C.S. 2-D to sell country liquor by retail in the sub-shop at.. as specified in Schedule I below from..........................to......................... subject to the following conditions :-

CONDITIONS

1. The sub-shop covered by this licence shall be adjunct to the shop under licence C.S. 2-D retail shop - at ....only. He shall not procure country liquor for sale from any other source.
2. The licensee shall not transport country liquor from the without a pass in Form C.S. 4 issued by the sub-inspector in-charge of the circle.
3. If country liquor transported to the sub-shop is found to have been misused, the Collector shall be competent to fix a quota for such sub-shop.
4. The licensee shall purchase from consumers empty bottles specially prepared for the Excise Departments, that are in good condition, at the rate fixed by the Government and return them to the principal C.S. 2-D shop named in condition numbers 1 and 2 above. He shall not charge from the consumer on account of the cost of the bottle and sealing charges more than the rate fixed by the Government. He shall affix in front of his shop, a sign board in Hindi, showing the name of the shop, the selling rates, the sealing charges for glass bottles and the rates at which the empty glass bottles of 750, 375, 180 millilitres shall be repurchased.
5. The licensee shall return all the empty bottles in stock with him on the preceding date to the authorised agent of the concerned C.S. 2-D shop mentioned in condition Nos. 1 and 2 whenever he goes for taking supply, obtains a receipt therefore and paste it against column No. 6 of the register maintained for purpose as prescribed under Condition 7.
6. The licensee shall keep a correct account of daily transactions of empty bottles in the register in the following table :-

Date	Opening balance of empty bottles (Millilitres)	Number of empty bottles received from consumers (Milliliters)	Total of empty bottles Col. 1+2 (Millilitres)	No. of empty bottles returned to the agent of the principal shop (Millilitres)	Closing balance of empty bottles Col. 3(-) 4 (Millilitres)	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

7. The licensee shall not alter or tamper with the seals, labels, caps on the bottles.

8. The licensee shall sell country liquor in sealed bottles only.

9. The licensee, under no circumstances, shall permit consumption of liquor on the premises or provide any facility thereof.

10. The licensee shall not bottle any country liquor.

11. The licensee shall not obtain less than 6 litres of liquor at a time from the shop mentioned from C.S. 2-D retail to which this licence has been granted as an adjunct. If a larger quantity is required, it will be obtained in multiples of 6 litres.

12. The licensee shall keep the shop closed on such days as are specified Schedule II appended to this licence.

13. The licensee shall keep at the sub-shop the pass-book, inspection book, account register, licence etc. and produce them before the inspecting officer.

14. If the licence is suspended or cancelled for any reason whatsoever, the licence fee already paid shall not be refunded in part or full.

15. In case, the licence granted to the principal C.S.2-D shop is suspended or cancelled or its closure is ordered, the sub-shop under this licence may be attached to some other continues shop of the group by the licensing authority.

16. The licensee shall be bound by the conditions of this licence, General Licence Conditions except Condition Nos. II, II A, VI, XXVII, XXX and any special condition/conditions intimated to him before the grant and during the currency of the licence.

17. On breach of any of the conditions of this licence or any of the provisions of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 or the Rules made thereunder, this licence may be suspended or cancelled by the Licensing authority.

Licensing Authority

Date.......................... District...................

APPLICATION **Annexure -4**

Application for the grant of licence for Retail Sale of Country Liquor/Foreign Liquor Group of Shops.

Registration No.................... Excise Year...........................

(To be filled by the Office)

DETAILS OF THE SHOP / GROUP OF SHOPS

1. Name of the District..

2. Name of Group of shops of Country / Foreign Liquor...

   Tahsil.............................

3. Licence fee (Rs)...(in words)

   ....(in figures)

4. A. Annual quantity of country liquor in proof litre...

   B. Annual quantity of foreign liquor in proof litre...

   C. Annual quantity of beer in Bulk litre...

5. Application fee (Rs.)..(in figures)

   (Rs.)...(in words)

6. Security amount (Rs.)..(in figures)

   (Rs.)...(in words)

DETAILS OF THE APPLICANT

(In case of co-applicant photograph of co-applicant and details at serial No.1 to 5 be also given)

Passport Size of Photograph of Applicant duly attested by Gazetted Officer

1. Name of the Applicant ....
2. Father's / husband's Name ....
3. Age.............................. Sex : Male/Female
4. Permanent address ....
   House No. and Locality / Village ....
   Police Station ....
   Tehsil ....
   Distt. ....
   State ....
   Telephone No. ....
5. Present address ....
   House No. and Locality / Village ....
   Police Station ....
   Tehsil ....
   Distt. ....
   State ....
   Telephone No. ....
6. Details of the application fee deposited
   a. Bank Draft / pay order No. and Date
   b. Name of Bank

The above information is true to the best of the my/our knowledge. In the event of above information being found incorrect, my/our application shall be liable to be rejected. If above details are found to be incorrect subsequent to the grant of licence it shall render my/our licence liable for cancellation and forfeiture of licence - fee and security deposit made by me/us. I/we am/are aware that submission of false or incorrect information is a penal offence.

Encloser :

1. Bank Draft/pay order of application fee
2. Affidavit duly verified by public Notary

Signature(s)/Thumb impression(s) of the applicant(s)

(ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION)

Received application from Shri / Smt. / Ku.............................. S/o., W/o., D/o. .... r/o.............................. for country foreign liquor group .... along with affidavit and bank draft for application fee and entered in the register at serial number ....

Date : ....

Time : ....

Signature of person authorized by District Excise Officer/Asstt. Commissioner Excise

District..............................

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2002.